4–"मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना "

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम की धारा 19 (11)(क) में मण्डी परिषद से अनुमोदित संस्थाओं, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को, अपनी वार्षिक आय का अधिकतम दो प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस प्राविधान के अन्तर्गत कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र व पुत्रियों एवं उन पर पूर्ण रूप से आश्रितों को छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना लागू है। यह छात्रवृत्ति प्रदेश के मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि संस्थानों एवं कृषि महाविद्यालयों में कृषि की उच्च शिक्षा– स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों एवं शोधार्थियों को दी जा रही है।

इस योजना को अधिक उपयोगी, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने हेतु वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर संशोधित "**मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना**" के प्राविधान निम्नवत् होंगे:–

1–योजना का उद्देश्य –

उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों एवं कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत कृषि/होम सांइस स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को मण्डी परिषद द्वारा छात्र वृत्तियॉ दी जायेगी। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय/कृषि संस्थान एवं कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में छात्र/छात्राओं की संख्या, छात्रवृत्ति की धनराशि एवं योजना की शर्ते एवं नियम इस प्रकार है:–

स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं की संख्या एवं छात्रवृत्ति की धनराशि :–

क्रमांक	शिक्षण संस्था का नाम	पाठ्यक्रम स्तर	छात्र/छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति की दर (रू0 प्रति माह)
1	कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान	कृषि स्नातक	25	3000/–
		होम सांइस स्नातक	06	3000/–
		कृषि स्नातकोत्तर	10	3000/–
		होम सांइस स्नातकोत्तर	04	3000/–
2	कृषि महा विद्यालय	कृषि स्नातक	10	3000/–
		कृषि स्नातकोत्तर	05	3000/–

कृषि स्नातक एवं कृषि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि एवं उससे सम्बन्धित विधाओं यथा–उद्यान, वानिकी, पशुपालन आदि के छात्र/छात्राओं को सम्मिलित करते हुए छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जायेंगी।

2–छात्रवृत्ति के लिए पात्रता :–

(1) छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।

(2) कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र व पुत्रियों तथा उन पर पूर्णरूप से आश्रितों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। कृषक का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके नाम भू–अभिलेख में कृषि भूमि आवेदन के दिनांक को दर्ज हो।

(3) छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा। स्नातक छात्र/छात्राओं हेतु यू0पी0 बोर्ड से इण्टरमीडियट की उत्तीर्ण परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांक और अन्य बोर्ड के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत प्राप्तांक का मानक होगा, जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर पर न्यूनतम प्राप्तांक 70 प्रतिशत होगा।

3–योजना की शर्ते व नियम:–

(1) छात्र /छात्रा को अपना आवेदन/प्रमाण–पत्र, 12वीं कक्षा अथवा स्नातक की अंक तालिका के साथ

शिक्षा संस्था के सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत मेरिट के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा। प्रथम वर्ष के पश्चात आगामी वर्षों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। किसी भी वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर छात्र/छात्रा अग्रेतर इस योजना हेतु अपात्र होगा।

(3) छात्र/छात्रा को यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या अन्य स्रोत्र से प्राप्त हो रही है, तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य छात्रवृत्तियॉ वापस करनी होगी।

(4) छात्र/छात्रा को शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण करना अनिवार्य होगा।

(5) यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा ने कोई सूचना छिपाई अथवा छिपवायी है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।

4–छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रकियाः–

(1) छात्रवृत्ति हेतु मेरिट के आधार पर घटते क्रम (डिसेन्डिग आर्डर) में पात्र छात्रों का चयन सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। चयन समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ सम्बन्धित सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(2) महाविद्यालय के मामले में महाविद्यालय द्वारा पात्र छात्रों/छात्राओं का चयन किया जायेगा। पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। चयन समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य व अन्य अधिकारियों के साथ सम्बन्धित सम्भाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद सदस्य होंगे।

(3) छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित सम्भाग का उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) सक्षम अधिकारी होगा। छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) स्तर पर अन्तिम किया जायेगा तथा चयनित छात्रों की सूची, लिये गये निर्णय का कार्यवृत्त तथा देय धनराशि का विवरण परिषद मुख्यालय को प्रेषित किये जाने पर परिषद मुख्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त की जायेगी।